S W	नवीन आधारिक विकास —
	नवीन आधारिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गाजियाबाद (मानवित्र-स्वीकृति पत्र)
	(मानचित्र-स्वीकृति पत्र)
P	वर संग नीएडा (४७) वी०पी० - 1985   दिनांक 12/4/50
	श्रीमती/श्री/मै0
1	312-12 2131 XI 37 250 200
V	man me - a salilar
1	भवर मीण की प्लाट सं0 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित विकास स्वीकृति
11	
11	1 यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से ति एक तक वैध है।
1/	मानियत्रों की इस स्वीकृति से इस भुखण्ड से संवधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर
1	पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा ।
3.	भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4.	यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी विना आपत्ति के देय होगा ।
5.	दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो ।
6.	विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7.	आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8.	स्वीकृत मानिवर्जे का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानिवर्जे के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा । आंवटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त
	तहरवाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नीएडा द्वारा निरादाण करान के वार है।
	शुस्त करेंगा अन्यया स्वाकृत मानायः आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा
9.	आवंटी मजनाइन तल/अप रातः स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
	रवीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जारणा । सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं वनाये जायेगें । वह कार्य अपनी ही भूमि
0.	सड़क पर अध्या पर्व दिन के विभाव करें वर्ष
	पर करें।